

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2023 की सीट आवंटन काउन्सिलिंग प्रक्रिया

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2023 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के अनुसार आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (<https://jeecup.admissions.nic.in>) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल न० को पूरी काउन्सिलिंग अवधि में (जो काउन्सिलिंग हेतु लागिन करते समय दिया गया हो) क्रियाशील रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल न० पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओटीपी, आवंटन-पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप (Sandes App) पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को android उपयोगकर्ता Google Playstore तथा iOS उपयोगकर्ता App store से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु० 3250/- की रसीद, जमा शिक्षण शुल्क की रसीद, सीट एलाटमेन्ट लेटर, डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन लेटर एवं एडमिशन लेटर की एक-एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।

काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार सम्पादित होंगी। काउन्सिलिंग शिड्यूल <https://jeecup.admissions.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाये।
2. काउन्सिलिंग प्रक्रिया 2 भागों (मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग) के कुल 5 चरणों में आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा। काउन्सिलिंग चरणों की संख्या नियामक संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० आदि द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र (ई०डब्लू०एस०/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०) एवं आरक्षण उपवर्ग प्रमाण-पत्र (दिव्यांग/सैनिक आश्रित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. काउन्सिलिंग में सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क तथा शिक्षण शुल्क, अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा।
5. काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर अपने विवरण (रोल नम्बर, एप्लीकेशन नम्बर, नाम व जन्मतिथि) देने होंगे, जिनके सही पाये जाने पर एक फार्म खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सम्पर्क विवरण तथा नया पासवर्ड भरा जायेगा। अभ्यर्थी को यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य प्रमाण-पत्र उसके पास मूल रूप में उपलब्ध हैं।
6. काउन्सिलिंग हेतु लागिन करते समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केन्द्र को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के लिए चुना जायेगा। प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य चयनित सहायता केन्द्र के माध्यम से ही होना है, अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभिलेख सत्यापन (डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन) के

- अतिरिक्त अन्य सभी काउन्सिलिंग सम्बन्धी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी कम्प्यूटर/टैब/ स्मार्ट फोन का उपयोग कर पूर्ण कर सकता है।
7. राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ-4 पर अंकित बिन्दु-3 पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे।
 8. सीट आवंटन के पश्चात Float/Freeze का विकल्प चयनित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- का भुगतान पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
 9. अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग (संस्था एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन) का कार्य लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप/ग्रुपों तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक ग्रुप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप के विकल्प अपनी वरीयतानुसार कर सकेंगे। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी चुने गये विकल्पों को अपने वरीयताक्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। विकल्प लॉक करने के उपरान्त उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं।
 - काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। द्वितीय अथवा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गये विकल्पों के साथ नये विकल्पों को जोड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, इस प्रकार सभी विकल्पों के समावेश के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा।
 - इसी भाँति चतुर्थ चरण में सीट आवंटन प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी पंचम चरण में अपने सीट विकल्पों को परिवर्तित कर सकेगा। प्रत्येक चरण में चयनित विकल्पों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।
 10. सीट आवंटन -प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक सीट आवंटित की जायेगी, भले ही अभ्यर्थी ने विभिन्न ग्रुपों के सीट विकल्पों का चयन किया हो। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन-पत्र उपलब्ध होगा।
 11. **Freeze** अथवा **Float** विकल्प का चयन - प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से Freeze अथवा Float का विकल्प चुनना होगा।
 - (अ) **Float** विकल्प - सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें Float विकल्प का चयन करते हुये सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- जमा करेंगे प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी Float का विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्योरिटी एवं काउन्सिलिंग शुल्क की धनराशि रु0 3250/- आनलाइन माध्यम से जमा करता है तो वह द्वितीय/तृतीय चरण के लिए अर्ह हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि उसे कोई अन्य सीट आवंटित न हो जाये। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी एवं जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 - (ब) **Freeze** विकल्प - सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हों उन्हें Freeze विकल्प का चयन करना होगा, तथा सीट एक्सेप्टेन्स

एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा, तदपश्चात सहायता केन्द्र डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी को अपने लॉगिन के माध्यम से चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। शिक्षण शुल्क की धनराशि जमा किये जाने का विकल्प अभ्यर्थी के लागिन स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। शिक्षण शुल्क प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी और वह तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी स्वतः Freeze हो जायेंगे तथा उन्हें सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/-ऑनलाइन जमा करना होगा तदपश्चात सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

12. प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से Freeze अथवा Float का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। Float विकल्प का चयन करने वाले अथवा इस विकल्प चयन के पश्चात सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/-ऑनलाइन जमा न करने वाले अथवा Freeze विकल्प का चयन करने के उपरान्त सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/-ऑनलाइन जमा न करने वाले अथवा अभिलेख सत्यापन एवं शिक्षण शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के तृतीय चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी Freeze माने जायेंगे।
13. मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों के अनुरूप ही विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में भी वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों के लिये निर्धारित है।
14. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन- मुख्य काउन्सिलिंग एवं विशेष काउन्सिलिंग के कुल पाँच चरणों तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए पोर्टल के माध्यम से आवंटित सहायता केन्द्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वःप्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। एक से अधिक ग्रुप में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख सत्यापन के समय जिस ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उस ग्रुप की सीटों हेतु अभ्यर्थी को अर्ह नहीं माना जायेगा तथा अगले समस्त चरणों में अभ्यर्थी को ऐसे ग्रुप की सीटें नहीं दिखेगी।

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार केन्द्र प्रभारी/काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

- (i) यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा-अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2023 को 14 वर्ष से कम है, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
- (ii) यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग (GEN, EWS, OBC, SC, ST) / उपवर्ग (MP, FF, PH) / महिला कोटे/उ0प्र0 राज्य से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग/राज्य) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर/राज्य को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से पोर्टल पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में

बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर /राज्य के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

SC/ST-MP/FF/PH	→	SC/ST	→	UNRESERVED
OBC-NCL-MP/FF/PH	→	OBC-NCLST	→	UNRESERVED
GEN EWS-MP/FF/PH	→	GEN EWS	→	UNRESERVED
GEN EWS-MP/FF/PH	→		→	UNRESERVED

- सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
 - अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
 - अभ्यर्थी के जेण्डर में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा।
 - अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
 - उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण-1 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण-4 से पुनः अर्ह हो जायेगा।
15. शिक्षण शुल्क – अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। विभिन्न राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण उ0प्र0 प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर एवं विवरण-पुस्तिका-2023 (Information Brochure -2023) में प्रदर्शित है।
16. प्रोवीजनल एडमिशन लेटर – शिक्षण शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
17. Withdrawal from counseling process: यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2023-24 में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण से पूर्व के चरण तक आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सम्पूर्ण शुल्क (सिक्योरिटी धनराशि एवं शिक्षण शुल्क) वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में सभी पाठ्यक्रम ग्रुपों में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले।
- (अ) “Withdrawal from counseling process” लिंक पर जाकर यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित सीट छोड़ दी जाती है तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी/अभिभावक के बैंक खाते में ही की जायेगी। अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी सम्भव नहीं हो सकेगी। शुल्क वापसी हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा कौन्सिल बैंक चेक उपलब्ध करानी होगी।
- (ब) शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष-2023 की काउन्सिलिंग की समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
- अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :

सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- ऑनलाइन जमा नहीं कराता है अथवा सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापन के पश्चात निर्धारित शिक्षण शुल्क ससमय नहीं जमा करता है तो उसे आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी मनी एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0

3250/- ऑनलाइन जमा कर सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हुए आनलाइन माध्यम से शिक्षण शुल्क अवश्य जमा कर दें।

मुख्य काउन्सिलिंग के अन्तर्गत प्रथम से तृतीय चरण तक की प्रक्रिया

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले, संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इन तीनों चरणों में अभ्यर्थियों को विगत वर्ष की कटआफ (Opening & Closing Rank) का वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर भली-भाँति अध्ययन करते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार सीट आवंटन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए।

विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण की प्रक्रिया

चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउन्सिलिंग में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण (तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो) एवं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (Other State) के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं, पात्र होंगे। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है।

नोट : संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था सम्बन्धी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया सम्बन्धित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर सम्बन्धित संस्था में सम्पर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार सम्पर्क कर सकते हैं :-

दूरभाष: 0522-2630667, 2630106, 2630695, 2630678

ईमेल: jeecuphelp@gmail.com